पत्र संख्या-विधि-1-(3)-पुरानी कार समा0यो0-(2010-2011) 01/1112001/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ::अप्रैल 01 ,2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:- माल वाहक से भिन्न प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाड़ियों की खरीद या बिक्री पर देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान धनराशि लिए जाने हेतु समाधान योजना लागू किया जाना।

शासन के पत्र संख्या-क0नि0-392/ग्यारह-2-2011-9(121)/08 दिनांक 30-3-2011 द्वारा माल वाहक से भिन्न प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाड़ियों की खरीद या बिक्री पर देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान धनराशि लिए जाने हेतु समाधान योजना लागू किए जाने के संबंध में प्राप्त निर्देश को इस पत्र के साथ **संलग्न** किया जा रहा है।

2- कृपया शासन के निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3- समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों के लिए समाधान प्रार्थना पत्र के लिए **अनुलग्नक-1** एवं शपथ पत्र के लिए **अनुलग्नक-2** निर्धारित करके इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

4- समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में विवरण **प्रारुप-1 में** तथा समाधान योजना से बाहर रहने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में विवरण **प्रारुप-2 में** जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा प्रत्येक त्रैमास के लिए **अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक** मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रारुप--1

प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाडियों की समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों से सम्बन्धित विवरण

त्रैमास का नाम : **वर्ष :**

क0	व्यापारी का नाम व पता	प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाडियों का प्रकार एवं संख्या		त्रैमास में जमा समाधान राशि (रूपये में)	त्रैमास तक जमा समाधान राशि (रूपये में)
		1000 सी0सी0 तक क्षमता वाले मोटर गाडी की संख्या	1000 सी0सी0 से अधिक क्षमता वाले मोटर गाडी की संख्या		
1	2	3	4	5	7
योग					

प्रारूप–2

प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाडियों की समाधान योजना से बाहर रहने वाले व्यापारियों का विवरण

त्रैमास का नाम : वर्ष :

क0	व्यापारी का नाम व पता	त्रैमास में प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाड़ियों का करयोग्य क्रय / विक्रय धन		त्रैमास में स्वीकृत जमा मूल्य संवर्धित कर (रूपये में)	त्रैमास में अस्थायी कर निर्धारण आदेश द्वारा आरोपित कर (रूपये में)	त्रैमास में अस्थायी कर निर्धारण आदेश के परिणामस्वरुप जमा कर (रूपये में)	कालम–5 व कालम–7 का योग (रूपये में)	त्रैमास तक कुल जमा धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें । शासन द्वारा लागू की गयी योजना एवं इस पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक:- 1 व 2 की पर्याप्त प्रतियां कराकर अधिवक्ता संघों/व्यापारिक संगठनों को उपलब्ध कराते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक:-यथोपरि ।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

अनुलग्नक-1

प्रयोगशुदा मोटर गाड़ियों की खरीद या बिक्री पर देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत समाधान प्रार्थना -पत्र

सेवा में,

कर निर्धारक अधिकारी

खण्ड / मण्डल / उपमण्डल ----------

महोदय,

मैं,फर्म सर्वश्री --जिसका मुख्यालय ---पर स्थित है तथा जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 17 में पंजीयन प्राधिकारी खण्ड/मण्डल ------------------------------ द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या (टिन) -------------------------------- दिनांक ---------------------- से प्रभावी जारी किया गया है, का स्वामी/साझीदार/- ----------------------------हूँ। मैनें प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाड़ी की खरीद या बिक्री पर देय मूल्य संवर्धित कर के विकल्प में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्र संख्या-क0नि0-392/ ग्यारह-2-2010-9-(121)/08 दिनांक 30-3-2011 से जारी समाधान योजना को स्वयं पढ़ लिया है अथवा पूर्ण रुप से सुन लिया है और भली भाँति समझ लिया है। उक्त योजना की सभी शर्ते मुझे मान्य है। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाड़ी की खरीद या बिक्री पर देय मूल्य संवर्धित कर के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथपत्र के अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ तथा निर्धारित अवधि के भीतर निम्नलिखित सारणी के अनुसार देय समाधान राशि जमा करता रहूँगा। यह प्रार्थना पत्र वित्तीय वर्ष .... के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्रम सं0	प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाड़ियों का विवरण	प्रति वाहन देय समाधान राशि (रूपये में)
1	1000 सी0सी0 तक क्षमता वाले मोटर गाड़ी	
2	1000 सी0सी0 से अधिक क्षमता वाले मोटर गाड़ी	

मेरी उपर्युक्त फर्म द्वारा अन्य कोई व्यापार नहीं किया गया है / मेरी फर्म द्वारा उपर्युक्त पुरानी कारों की खरीद बिक्री के अतिरिक्त भी व्यापार किया जाता है। ऐसे अन्य व्यापार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत कर विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करने, कर जमा करने, कर निर्धारण व अधिनियम के अन्तर्गत अन्य समस्त कार्यवाही कराऊंगा।

दिनांक -----------

संलग्नक:- शपथ पत्र

हस्ताक्षर --------------------------------

पूरा नाम --------------------------------

प्रास्थिति --------------------------------

प्रमाणीकरण

मैं ....आत्मज......................................इस प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रुप से जानता हूँ। यह फर्म -------------------------------- ------------------------ के स्वामी / साझीदार / ------------------------------ है तथा इस प्रार्थना-पत्र पर उन्होंनें मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर -----------------------------------

पूरा नाम ---

पूरा पता ---

अनुलग्नक-2

प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाड़ियों की समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में

शपथ पत्र

समक्ष

कर निर्धारक अधिकारी

खण्ड/मण्डल ------------- -----------------------

मैं -- पुत्र श्री --- आयु --------- वर्ष स्थायी निवासी -- (पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

मैं, फर्म सर्वश्री -- का स्वामी / साझीदार / --------------------------------- हूँ तथा यह शपथ-पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2-मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् है :-

पूरा पता :- 1. मुख्यालय	--	--
2. शाखाएं (अ)	--	--
(ब)	--	--
(स)	--	--

इसके अतिरिक्त प्रदेश में मेरी फर्म की कोई अन्य शाखा नहीं है।

3- प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाड़ियों की खरीद या बिक्री पर देय मूल्य संवर्धित कर के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से संबंधित शासन द्वारा लागू समाधान योजना एवं उसमें अंकित सभी शर्तों तथा कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये निर्देशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी-पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरी फर्म मे हितबद्ध सभी व्यक्तियों को हो चुकी है तथा योजना से सम्बन्धित सभी निर्देश, शर्तें, व प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरी फर्म में हितबद्ध सभी व्यक्तियों को मान्य है और सदा रहेंगें।

4- मैं प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाड़ियों पर निम्नवत् समाधान राशि जमा करने के लिए बाध्य हूँ:-

क्रम सं0	प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाड़ियों का विवरण	प्रति वाहन देय समाधान राशि (रूपये में)
1	1000 सी0सी0 तक क्षमता वाले मोटर गाड़ी	
2	1000 सी0सी0 से अधिक क्षमता वाले मोटर गाड़ी	

5- प्रस्तर-4 में उल्लिखित दर से वित्तीय वर्ष----------------------- के लिए इसके प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति की अनुवर्ती माह की 20 तारीख के भीतर समाधान राशि मेरी फर्म द्वारा देय होगी।

6- यदि वित्तीय वर्ष ------------- के लिए मेरा समाधान राशि का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध मे दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा लगाई गई शर्तो / प्रतिबन्धों का पालन करने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए बाध्य होगी। शासन/कमिश्नर द्वारा दिये गये निर्देशों, लगाये गये प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग मेरी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाहियां कर सकेगा।

हस्ताक्षर ---

पूरा पता ---

प्रास्थिति ---

घोषणा

मैं --- घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र/अनुबन्ध के प्रस्तर-1 से 6 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

साक्षी के हस्ताक्षर -- हस्ताक्षर ---------------------------------

नाम एवं पता -- नाम ---------------------------------

तिथि एवं स्थान -- प्रास्थिति ---------------------------------

संख्याः–क0नि0– 392 /ग्यारह–2–2011–9(121)/08

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 **लखनऊःःदिनांकःः 30 मार्च, 2011**

विषयः माल वाहक से भिन्न प्रयोगशुदा चौपहिया मोटर गाड़ियों की खरीद या बिक्री पर देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान धनराशि लिये जाने हेतु समाधान योजना लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–विधि–1(3)पुरानी कार समाधान योजना/(2010–11)/144/वाणिज्य कर दिनांक 21.09.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय माल वाहक से भिन्न प्रयोगशुदा ऐसी चौपहिया मोटर गाड़ियों जिसमें चालक की सीट सहित अधिकतम 8 सीट हों तथा जिसमें SUV भी सम्मिलित है, की खरीद या बिक्री पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन देय कर के विकल्प में अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत प्रति मोटर गाड़ी निम्नवत एकमुश्त समाधान धनराशि लिये जाने हेतु समाधान योजना नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

(1) 1000 सीसी तक की क्षमता वाली प्रयोगशुदा उक्त मोटर गाड़ियों पर समाधान धनराशि रू0 3000/– प्रति मोटर गाड़ी

(2) 1000 सीसी से अधिक क्षमता वाली प्रयोगशुदा उक्त मोटर गाड़ियों पर समाधान धनराशि रू0 5000/- प्रति मोटर गाड़ी

शर्तें

(क) प्रयोगशुदा मोटर गाड़ी की खरीद पर भुगतान किये गये कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यापारी को नहीं मिलेगा। व्यापारी द्वारा प्रयोगशुदा मोटर गाड़ी की मरम्मत व री-कन्डिशनिंग में प्रदेश के भीतर के पंजीकृत व्यापारी से क्रय करके प्रयोग किये गये माल पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं होगा,

(ख) यदि व्यापारी द्वारा प्रदेश के बाहर से आयात करके अथवा अपंजीकृत से क्रय करके माल का उपयोग मरम्मत व री-कन्डिशनिंग में किया जाता है तो उस वाहन पर समाधान योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा,

(ग) व्यापारी द्वारा प्रयोगशुदा मोटर गाड़ियों की खरीद-बिक्री से भिन्न किये गये व्यापार पर नियमानुसार कर की देयता होगी,

(घ) कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा योजना परिपत्रित होने के 90 दिन अथवा 30 जून, 2011 जो भी बाद में हो, तक समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना-पत्र कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ड.) नया व्यापार प्रारम्भ करने की स्थिति में व्यापार प्रारम्भ करने की तिथि से 30 दिन तक समाधान योजना का विकल्प प्रार्थना-पत्र कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

(च) समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा त्रैमास के लिये देय समाधान राशि, त्रैमास की समाप्ति के 20 दिन के भीतर राजकीय कोषागार में जमा करते हुए चालान की प्रति कर निर्धारक अधिकारी के कार्यालय में जमा की जायेगी।

(छ) एक बार समाधान योजना का विकल्प लेने पर कर निर्धारण वर्ष के दौरान वापस नहीं लिया जा सकेगा।

(ज) आगामी कर निर्धारण वर्षों के लिये विकल्प प्रार्थना–पत्र 30 जून तक दिया जा सकता है।

(झ) कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि अधिकतम एक माह तक बढ़ायी जा सकती है।

(ट) विकल्प का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(ठ) राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय योजना वापस ली जा सकती है।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।